215

1

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी निग – 2844 – I - 16

शंकरलाल सेन पुत्र ग्यासी लाल सेन निवासी ग्राम सटई तह. विजावर जिला छतरपुर

——— आवेदक

विरूद्ध

बैनी वाई पत्नी देवीदीन कुर्मी

मृत वारिसान

1. मोतीराम
2. राममिलन
3. मुन्नालाल

} पुत्रगण देवीदीन कुर्मी

निवासी ग्राम सटई तह. विजावर जिला छतरपुर म.प्र.

——— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त देवरा तह. विजावर जिला छतरपुर के प्र.क. 21/अ—3/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2015 के बिरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 11.08.2016 से अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :—

यह कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त देवरा तह. विजावर जिला छतरपुर के समक्ष भूमि सर्वे क. 1973/1/2 रकवा 0.082 हे. के संबंध में अनावेदकगण की माँ बैनी वाई पत्नी देवीदीन द्वारा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आ पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क. 21/अ—3/2014—15 पर दर्ज किया आपत्तियां आहूत किये बिना तथा अनावेदकगण द्वारा तरमीम नियमों का पा बिना आदेश दिनांक 21.07.2015 को पारित करा लिया गया। उक्त प्रक सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही सरहदी कृषकों को तरमी सूचना पत्र जारी किया गया। परन्तु आवेदक को तलब किये बिना दिनां

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2844-एक/2016 जिला छतरपुर शंकरलाल विरूद्ध बैनीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड उपस्थित। आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार देवरा के प्रकरण क्रमांक 21/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

10.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य